

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांक : ए.4 () लेखा/बीएनपी/2011/ 4501

जयपुर दिनांक : 5.12.11

1. कार्यालयाध्यक्ष तथा आहरण एवं वितरण अधिकारी, मुख्यालय।
2. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें।
3. समस्त, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला कार्यालय।
4. समस्त, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी जिला/उपजिला/सेटेलाईट अस्पताल।
5. समस्त सहायक औषधि नियंत्रक।
6. समस्त अधीक्षक, संलग्न चिकित्सा समूह संघ।
7. समस्त, चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, क्षय नियंत्रण इकाई।
8. समस्त जिला कुष्ठ रोग अधिकारी/प्रभारी कुष्ठ नियंत्रण इकाई।
9. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडीकल कॉलेज, अजमेर/जोधपुर।
10. मुख्य सार्वजनिक विश्लेषक, जयपुर।
11. विभागाध्यक्ष, डिप्लोमा कोर्स इन फार्मसी, जयपुर।
12. प्रधानाचार्य, हीराबाग जयपुर।
13. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, के.एन.टी.बी.सी. अजमेर।
14. उपनिदेशक, औषधि विश्लेषण प्रयोगशाला, जयपुर।


विषय :- आईएफएमएस में दर्शाये गये व्यय/बजट आवंटन एवं उपलब्ध प्रावधान का कोषालय से मिलान करने बाबत।

संदर्भ :- विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक : 15.11.2011 एवं वित्त विभाग का पत्र क्रमांक : F.5(TH-75) DTA/IFMS/Treasury दिनांक 02.11.2011

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र (प्रति संलग्न) द्वारा यह निर्देशित किया गया था कि आप आईएफएमएस की विभिन्न रिपोर्ट्स (व्यय, बजट आवंटन एवं उपलब्ध प्रावधान) की विभाग में उपलब्ध भौतिक रिपोर्ट से मिलान कर यदि कोई अन्तर/अशुद्धि हो तो संबंधित कोषालय से अशुद्धियों को सही करवाकर प्रमाण-पत्र एवं प्रस्तावित ट्रान्सफर ऐन्ट्री की प्रति इस कार्यालय को दिनांक 30.11.2011 तक भिजवाना सुनिश्चित करावें परन्तु आप द्वारा अभी तक इस क्रम में अपेक्षित सूचना विभाग को प्रेषित नहीं की है। वित्त विभाग द्वारा इसे किसी भी रूप में उचित नहीं माना जा सकता है तथा यह कार्य दिनांक 30.11.2011 तक पूर्ण करना आवश्यक था। अतः पुनः निर्देशित किया जाता है कि प्रमाण-पत्र तथा स्थानान्तरण प्रविष्टि की प्रति 09.12.2011 तक भिजवाना सुनिश्चित करावें। इस क्रम में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि भौतिक रिपोर्ट से मिलान पर कोई अन्तर/अशुद्धि नहीं पाई जाती है तो स्थानान्तरण प्रविष्टि की आवश्यकता नहीं है, का प्रमाण-पत्र विभाग को प्रेषित करावें।


संलग्न :- उपरोक्तानुसार।


वित्तीय सलाहकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर

क्रमांक : ए.4 () लेखा/बीएनपी/2011/

प्रतिलिपि :- प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि कृपया इसे विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराने का श्रम करावें।

जयपुर दिनांक :


सहायक लेखाधिकारी (बजट)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर

46

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांक : ए-4 () लेखा/बीएनपी/2011/ 4238

जयपुर दिनांक : 15/11/2011

1. कार्यालयाध्यक्ष तथा आहरण एवं वितरण अधिकारी, मुख्यालय।
2. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन।
3. समस्त, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला कार्यालय।
4. समस्त, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी जिला/उपजिला/सेटेलाईट अस्पताल।
5. समस्त सहायक औषधि नियंत्रक।
6. समस्त अधीक्षक, संलग्न चिकित्सा समूह संघ।
7. समस्त, चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, क्षय नियंत्रण इकाई।
8. समस्त जिला कुष्ठ रोग अधिकारी/प्रभारी कुष्ठ नियंत्रण इकाई।
9. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडीकल कॉलेज, अजमेर/जोधपुर।
10. मुख्य सार्वजनिक विश्लेषक, जयपुर।
11. विभागाध्यक्ष, डिप्लोमा कोर्स इन फार्मसी, जयपुर।
12. प्रधानाचार्य, हीराबाग जयपुर।
13. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, के.एन.टी.बी.सी. अजमेर।
14. उपनिदेशक, औषधि विश्लेषण प्रयोगशाला, जयपुर।

विषय :- आईएफएमएस में दर्शाये गये व्यय/बजट आवंटन एवं उपलब्ध प्रावधान का कोषालय से मिलान करने बाबत।


संदर्भ :- वित्त विभाग का पत्र क्रमांक : F.5(TH-75) DTA/IFMS/Treasury दिनांक 02.11.2011

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र (प्रति संलग्न) द्वारा वित्त विभाग ने निर्देशित किया है कि सभी विभागाध्यक्ष एवं बजट नियन्त्रण अधिकारी आईएफएमएस में उपलब्ध व्यय रिपोर्ट पूर्ण होने, अद्यतन होने तथा सभी प्रकार से सही होना सुनिश्चित करेंगे तथा यदि किसी प्रकार की अशुद्धि है तो उसे कोषालयों के मार्फत दिनांक 20.11.2011 तक आवश्यक रूप से संशोधन करवाकर वित्त विभाग को सूचित करेंगे।

उक्त कार्य आप द्वारा अभी तक प्रारम्भ नहीं किया गया है। अतः निर्देशित किया जाता है कि आप आईएफएमएस की विभिन्न रिपोर्ट्स (व्यय, बजट आवंटन एवं उपलब्ध प्रावधान) की विभाग में उपलब्ध भौतिक रिपोर्ट से मिलान कर यदि कोई अन्तर/अशुद्धि हो, तो संबंधित कोषालय से अशुद्धियों को सही करवाकर प्रमाण-पत्र एवं प्रस्तावित ट्रान्सफर ऐन्ट्री की प्रति इस कार्यालय को भिजवायें अन्यथा दिनांक 30.11.2011 के बाद कोषालय द्वारा आपके कार्यालय का किसी प्रकार का बिल अंकमिलान का कार्य पूर्ण होने तक स्वीकार नहीं किया जावेगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी आप स्वयं की होगी।


संलग्न :- संदर्भित पत्र की प्रति।


वित्तीय सलाहकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर

क्रमांक : ए-4 () लेखा/बीएनपी/2011/ 4238

जयपुर दिनांक : 15-11-2011

✓ प्रतिलिपि :- प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि कृपया इसे विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराने का श्रम करावें।


वित्तीय सलाहकार